



2026:AHC-LKO:40147

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

मामले अंतर्गत अनुच्छेद 227 संख्या - 3339 सन 2026

राम बरन @ राम बरन पाल

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

अपर आयुक्त (न्यायिक), अयोध्या मंडल, अयोध्या एवं 10 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	अचल सिंह यादव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति सैयद क्रमर हसन रिज़वी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अचल सिंह यादव; ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह की ओर से उपस्थित हुए श्री गोविंद कुमार चौरसिया, अधिवक्ता, तथा राज्य/प्रतिवादी की ओर से श्री देवेश चंद्र पाठक, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान याचिका, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"... प्रतिवादी संख्या 1/अपर आयुक्त (न्यायिक), अयोध्या मंडल, अयोध्या को अपील संख्या 1061/2025 (कम्प्यूटरीकृत संख्या सी20250400001061), रामबरन बनाम सुनीता यादव एवं अन्य, जो 02.05.2025 से लंबित है, को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णीत करने का निर्देश जारी किया जाए।"

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 331(3) के अंतर्गत दायर अपील मई, 2025 से प्रतिवादी संख्या 1/अपर आयुक्त (न्यायिक), अयोध्या मंडल, अयोध्या के समक्ष निस्तारण हेतु लंबित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त अपील के लंबित रहने के कारण याचिकाकर्ता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
4. उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रस्तर 458(2) में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:

"458(2). अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय अपील या पुनरीक्षण, जैसा भी मामला हो, दाखिल किए जाने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर उसे अंतिम रूप से तय करने के लिए सभी प्रयास करेगा और यदि अपील या पुनरीक्षण का निर्णय उक्त अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसके कारण दर्ज किए जाएंगे।"

5. यह स्पष्ट विधायी अधिदेश है कि यदि कार्यवाही उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित समयावधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो उसके कारण दर्ज किए जाएंगे।
6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें इस सीमा तक कोई आपत्ति नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामले का शीघ्र निस्तारण करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर निर्देश जारी किया जाए।
7. पारित किए जाने वाले आदेश की प्रकृति को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 3 से 10 को नोटिस की तामील से छूट दी जाती है।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि इस रिट याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
9. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करना उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि अपर आयुक्त (न्यायिक), अयोध्या मंडल, अयोध्या (प्रतिवादी संख्या 1, जिनके समक्ष अपील संख्या 1061/2025 (कम्प्यूटरीकृत संख्या सी20250400001061), रामबरन बनाम सुनीता यादव एवं अन्य, निस्तारण हेतु लंबित है) संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, मामले के गुण-दोष पर विधि के अनुसार कारणयुक्त एवं स्पष्ट आदेश द्वारा, शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर, यदि कोई कानूनी बाधा न हो, उसका निर्णय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि दोनों में से किसी भी पक्षकार द्वारा यदि अनावश्यक स्थगन की मांग की जाती है, तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी और केवल अपवादस्वरूप परिस्थितियों में ही स्थगन प्रदान किया जा सकेगा।

10. उपर्युक्त निर्देश के साथ, वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है।

जून 3, 2026

ए.निगम

[न्यायमूर्ति सैयद क़मर हसन रिज़वी]

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।